# समाहरणालय, दरभंगा।
## (जिला स्थापना शाखा)

दिनांक– 05.02.2016 को 10:30 बजे पूर्वाह्न से समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी, दरभंगा की अध्यक्षता में प्रधान लिपिकों की जिला स्तरीय मासिक बैठक की कार्यवाही।

| क्र०सं० | लिए गए निर्णय का सारांश | अनुपालन किए जाने के लिए संबद्ध प्रधान लिपिक |
|---|---|---|
| 01 | आज की बैठक में प्रधान लिपिक, जिला विकास शाखा, दरभंगा, जिला जन शिकायत कोषांग, दरभंगा नाजिर, जिला निबंधन कार्यालय, दरभंगा नाजिर सिंहवाड़ा अंचल, नाजिर हायाघाट अंचल, नाजिर, गौड़ाबौराम अंचल, प्रधान लिपिक, किरतपुर अंचल, नाजिर, बहादुरपुर, प्रखंड, नाजिर तारडीह प्रखंड, नाजिर अलीनगर प्रखंड, प्रधान लिपिक एवं नाजिर घनश्यामपुर प्रखंड, नाजिर कुशेश्वरस्थान पूर्वी प्रखंड, प्रधान लिपिक विभागीय जॉच, दरभंगा अनुपस्थित रहे।<br>प्रधान लिपिक, जिला स्थापना को निदेश दिया गया कि अनुपस्थित प्रधान लिपिकों एवं नाजिर से स्पष्टीकरण की मांग की जाय, तथा आज का वेतन अवरूद्ध करने हेतु संबंधित कार्यालयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को पत्र भेजने की कार्रवाई की जाय। पिछली बैठक में जो प्रधान लिपिक अनुपस्थित थे, जिनसे स्पष्टीकरण पूछा गया था, उसका जवाब जिन प्रधान लिपिकों के द्वारा नही दिया गया है, उन्हें अविलंब स्मार पत्र भेजकर स्पष्टीकरण प्राप्त कर प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। | प्रधान लिपिक, जिला स्थापना शाखा, दरभंगा। |
| 02. | **कार्यालय प्रबंधन :–**<br>आज की बैठक में उपस्थित सभी प्रधान लिपिकों को स्थापना उप समाहर्त्ता, दरभंगा के द्वारा निदेश दिया गया कि कार्यालय को प्राप्त विभिन्न विभागों से संबंधित विषयवार सरकारी परिपत्र/सर्कुलर/निदेश को रक्षी संचिका गार्ड फाईल में नियमानुसार सुरक्षित रूप से रखने हेतु कार्रवाई करेंगे। सरकारी परिपत्र के आलोक में ही कार्यालय के कार्यों को करने का निदेश दिया गया। कार्यालय प्रबंधन की सारी जवाबदेही प्रधान लिपिक की होती है, चाहे वे प्रधान लिपिक कार्यालय में स्थायी रूप से या प्रभार में हो, उन्हें **Office Management** के सरकारी परिपत्रों के आलोक में कार्य किया जाना है।<br>सभी प्रधान लिपिक को अपने कार्यालय से संबंधित विषयवार प्रतिवेदन के आकड़ों की स्थिति/कार्यों के प्रगति की स्थिति अपने टेबूल पर विषयवार आकड़ा के साथ रखने का निदेश दिया गया, ताकि किन्हीं निरीक्षी पदाधिकारी के पूछे जाने पर विषयवार सही आकड़ा एवं स्थिति से उन्हें आपके द्वारा अवगत कराया जा सके। उदाहरणस्वरूप प्रखंड में वृद्धावस्था पेंशन योजना/निःशक्तता योजना/लक्ष्मीबाई योजना एवं अन्य प्रकार की विषयवार सारी योजनाओं की स्थिति/प्रगति की सूचना को अपने टेबूल पर रखने का निदेश दिया गया।<br>सभी प्रधान लिपिक को अपने अधीनस्थ कर्मियों के साथ साप्ताहिक बैठक कर अत्यावश्यक/अतिआवश्यक/लंबित पत्रों पर त्वरित कार्रवाई कर निष्पादन कराने का निदेश दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय/लोक सभा/राज्य सभा/विधान सभा/विधान परिषद के लंबित प्रश्न एवं प्राप्त प्रश्नों पर उत्तर सामग्री अविलंब | सभी प्रधान लिपिक |

| | | |
|---|---|---|
| | भेजने का निदेश दिया गयो। माननीय लोकायुक्त कार्यालय, बिहार पटना से संबंधित पत्रों पर त्वरित कार्रवाई कर निष्पादन कराने का निदेश दिया गया। सभी प्राप्त पत्रों को संचिका में निश्चित रूप से तीन दिनों के अन्दर प्रस्तुत कर निष्पादन कराने का निदेश दिया गया।<br>सभी प्रधान लिपिक को निदेश दिया गया कि वे कार्यालय में कर्मियों को बैठने की सुविधा इस प्रकार करेंगे, ताकि वे कर्मियों को देख सके और उन्हें कार्यालय के कार्यों को करने हेतु उत्प्रेरित कर सके तथा कर्मियों द्वारा किसी कार्य हेतु पूछे गए प्रश्नों पर वे उन्हें कार्य करने के बारे में जवाब दे सके अथवा उन्हें Dictated करा सके। कार्यालय के परिचारी प्रधान लिपिक के पास रहेंगे। कार्यालय प्रधान के लिए दूसरे परिचारी को बैठाने का निदेश दिया गया।<br>समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि ऐसा देखा जाता है कि प्राप्त पत्रों की पंजी/निर्गत पत्रों की पंजी के सभी स्तम्भों Coloum कॉलम को नही भरा जाता है। प्रधान लिपिक को सभी Coloum में प्रविष्टि कराने का निदेश दिया गया। संधारित प्राप्त पत्रों की पंजी के स्तम्भ 07 एवं 08 विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त सभी स्मार पत्रों का लाल स्याही से प्रविष्टि कराने का निदेश दिया गया तथा प्रत्येक सप्ताह में अपने कर्मियों की साप्ताहिक बैठक में आगत पंजी की समीक्षा कर सभी स्मार पत्रों पर त्वरित निष्पादन कराने का निदेश दिया गया। प्रत्येक शुक्रवार को कर्मियों के लौग बुक देखकर उसे अपने कार्यालय प्रधान के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। सेवापुस्त पंजी संधारित कर सेवापुस्त अद्यतन करने एवं प्रधान लिपिक डायरी का संधारण करने का निदेश दिया गया। उपस्थिति पंजी को समय पर देखकर कार्यालय प्रधान के समक्ष समय देकर अवलोकन हेतु प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। वाहन के लौग बूक/स्थायी भंडार पंजी संधारित करने का निदेश दिया गया तथा उसमें कार्यालय के Asset सम्पति को भंडार पंजी में प्रविष्टि कराने का निदेश दिया गया। | |
| 03. | **मासिक प्रतिवेदन :–**<br>स्थापना उप समाहर्त्ता, दरभंगा के द्वारा समीक्षा के क्रम में कई कार्यालयों के प्रधान लिपिक के द्वारा मासिक प्रतिवेदन समय पर नही भेजे जाने के कारण उनके द्वारा की जा रही कार्यो की समीक्षा नही की जा सकी। बैठक का रोस्टर निर्गत है, निर्गत रोस्टर के आलोक में प्रतिवेदन समय पर भेजने का निदेश दिया गया। निर्धारित तिथि तक यदि मासिक प्रतिवेदन जिला कार्यालय को प्राप्त नही कराया जाता है, तो वैसे प्रधान लिपिक का वेतन पर रोक लगाने की कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।<br>सभी प्रधान लिपिक को निदेश दिया गया कि Manual Report के बदले पत्र/मासिक प्रतिवेदन ई–मेल के माध्यम से भेजने की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगें। जिला स्थापना शाखा, दरभंगा का establishment dbg@gmail.com पर साप्ताहिक प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया। | सभी प्रधान लिपिक/ प्रधान लिपिक स्थापना शाखा, दरभंगा। |
| 04. | **राजस्व :–**<br>पृच्छा के क्रम में प्रधान लिपिक, जिला राजस्व शाखा, दरभंगा के द्वारा बताया गया कि सभी कार्यालय से मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त है। व्यय विवरणी के बारे में बताया गया कि सिंहवाड़ा/किरतपुर/बेनीपुर/ तारडीह/केवटी/बहादुरपुर से प्राप्त है। शेष अंचलों से अप्राप्त है। शेष अंचलों के प्रधान लिपिक को निदेश दिया | शेष सभी संबंधित अंचलों के प्रधान लिपिक/ |

| | | |
|---|---|---|
| | गया कि कल तक प्रतिवेदन जिला राजस्व शाखा को प्राप्त कराने की कार्रवाई करेंगे।<br>समीक्षा के क्रम में गौड़ाबौराम अंचल के प्रधान लिपिक पिछली बैठक में अनुपस्थित थे, और आज की बैठक में भी अनुपस्थित है। इनका वेतन स्थगित करने हेतु कार्रवाई करने का निदेश स्थापना शाखा के प्रधान लिपिक को दिया गया। | प्रधान लिपिक स्थापना शाखा, दरभंगा। |
| 05. | **सैरात :–**<br>पृच्छा के क्रम में प्रधान लिपिक जिला राजस्व शाखा के द्वारा बताया गया कि सैरात के प्रतिवेदन का अवलोकन उनके द्वारा नही किया गया है। समीक्षा के दौरान प्रधान लिपिक राजस्व द्वारा बताया गया कि सुरक्षित जमा निर्धारण का प्रस्ताव दरभंगा सदर अंचल/कुशेश्वरस्थान अंचल से नही भेजे गये है। इन अंचल के प्रधान लिपिक द्वारा बताया गया कि कल भेज देगें। अविलंब भेजने का निदेश दिया गया।<br>प्रधान लिपिक जिला राजस्व द्वारा बताया गया कि सुरक्षित जमा निर्धारण का प्रस्ताव सिंहवाड़ा/ जाले/ हायाघाट/ हनुमाननगर/ बहेड़ी/बेनीपुर/अलीनगर/मनीगाछी/तारडीह/बिरौल/घनश्यामपुर/ किरतपुर/कुशेश्वरस्थान पूर्वी अंचल से प्राप्त है। | प्रधान लिपिक सदर अंचल/ कुशेश्वरस्थान अंचल |
| 06. | **लोक सभा/विधान सभा/विधान परिषद के लंबित प्रश्न :–**<br>प्रधान लिपिक जिला राजस्व शाखा के द्वारा बताया गया कि श्री कामेश्वर चौपाल, माननीय स0वि0प0 के बिरौल अंचल से संबंधित 02 प्रश्न लंबित चला आ रहा है। प्रधान लिपिक अंचल कार्यालय बिरौल के द्वारा बताया गया कि पहला प्रश्न के समाधान हेतु सड़क पर पेड़ है, जिसे काटा जाना है। दूसरा प्रश्न श्रीमती कैली देवी के मामला जमीन उपलब्ध कराने के संबंध में है, जिस पर जमीन उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। उपरोक्त दोनों प्रश्नों पर उत्तर सामग्री अविलंब भेजने का निदेश प्रधान लिपिक अंचल कार्यालय बिरौल को दिया गया। | प्रधान लिपिक, अंचल कार्यालय, बिरौल |
| 07. | कुशेश्वरस्थान अंचल से संबंधित श्री शशिभूषण हजारी, माननीय स0वि0स0 के अतारांकित प्रश्न लंबित होना बताया गया। प्रधान लिपिक कुशेश्वरस्थान अंचल को निदेश दिया गया कि दो दिनों के अन्दर प्रतिवेदन भेजने की कार्रवाई की जाय। | प्रधान लिपिक, कुशेश्वरस्थान अंचल |
| 08. | दरभंगा सदर अंचल से संबंधित श्री दिलीप कुमार चौधरी माननीय स0वि0प0 के तारांकित प्रश्न–27 लंबित होना बताया गया। प्रधान लिपिक सदर अंचल को निदेश दिया गया कि प्रतिवेदन दो दिनों के अन्दर भेजने की कार्रवाई की जाय। | प्रधान लिपिक, सदर अंचल, दरभंगा। |
| 09. | कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के प्रतिवेदन 20–सूत्री के अनुपालन प्रतिवेदन सदर अंचल दरभंगा/कुशेश्वरस्थान अंचल से अप्राप्त है। अविलंब भेजने का निदेश दिया गया। | प्रधान लिपिक सदर अंचल/ कुशेश्वरस्थान अंचल |
| 10. | **स्थापना :–**<br>समीक्षा के क्रम में प्रधान लिपिक जिला स्थापना शाखा,दरभंगा के द्वारा बताया गया कि रोकड़ पंजी की छाया प्रति सदर अंचल/कुशेश्वरस्थान अंचल से नही प्राप्त कराया गया है। इन अंचल के प्रधान लिपिक को निदेश दिया गया कि अद्यतन कर छाया प्रति कल तक स्थापना शाखा को प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे। | प्रधान लिपिक सदर अंचल/ कुशेश्वरस्थान अंचल |

| | | |
|---|---|---|
| 11. | आज की बैठक में घनश्यामपुर अंचल के नाजिर को अनुपस्थित पाया गया। फलस्वरूप रोकड़ पंजी पर समीक्षा नही की जा सकी। नाजिर/प्रधान लिपिक एवं अंचल अधिकारी से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गय। | प्रधान लिपिक जिला स्थापना शाखा, दरभंगा। |
| 12. | अलीनगर प्रखंड के रोकड़ पंजी एवं सेवांत लाभ के प्रतिवेदन प्राप्त नही कराया गया है। प्रतिवेदन कल तक भेजने का निदेश दिया गया। | प्रधान लिपिक अलीनगर प्रखंड |
| 13. | समीक्षा के क्रम में बिरौल प्रखंड के रोकड़ पंजी की छाया प्रतिवेदन प्राप्त नही कराया गया है। मूल रूप में नाजिर के द्वारा रोकड़ पंजी को बैठक में प्रस्तुत किया गया। पंजी के अवलोकन से दिनांक–15.10.2014 के बाद रोकड़ पंजी पर प्रधान लिपिक के द्वारा जॉच नही किया गया है और ना ही प्रखंड विकास पदाधिकारी का हस्ताक्षर हैं। नाजिर द्वारा दिनांक–15.10.2014 के बाद रोकड़ पंजी पर प्रविष्टि की गई है, परन्तु शीर्षवार प्रविष्टि नही किया गया है। रोकड़ पंजी पर कटिंग है, जो खेद्जनक है। रोकड़ पंजी को अविलंब अद्यतन कराने का निदेश दिया गया। बिरौल प्रखंड के प्रधान लिपिक को वित्तीय कार्यो में लापरवाही के कारण निलंबित करने की कार्रवाई करने तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिरौल के विरूद्ध प्रपत्र "क" तैयार कर भेजने का निदेश दिया गया। स्थापना उप समाहर्त्ता, दरभंगा को रोकड़ पंजी के सत्यापन हेतु तिथि निर्धारित कर पत्र भेजने के साथ टीम का गठन कर रोकड़ पंजी सत्यापित कराने की कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। | प्रधान लिपिक बिरौल प्रखंड/नाजिर बिरौल प्रखंड/प्रधान लिपिक स्थापना शाखा, दरभंगा/ स्थापना उप समाहर्त्ता, दरभंगा। |
| 14. | पृच्छा के क्रम में प्रधान लिपिक सामाजिक सुरक्षा द्वारा बताया गया कि नाजिर वाहन कोषांग में प्रतिनियुक्त है। बताया गया कि रोकड़ पंजी जुलाई–2015 तक का लिखा हुआ है। रोकड़ पंजी को अद्यतन कराने का निदेश दिया गया क्योंकि उनकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी प्रधान लिपिक सह लेखापाल की हैसियत से है।<br>सभी प्रधान लिपिक को बिहार वित्तीय नियमावली के आलोक में कार्य करने का निदेश दिया गया। | सभी प्रधान लिपिक |
| 15. | **सेवांत लाभ :–**<br>समीक्षा के क्रम में प्रधान लिपिक स्थापना शाखा, दरभंगा के द्वारा बताया गया कि अनुमंडल कार्यालय सदर के श्री बौए लाल मिश्र प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सिंहवाड़ा का सेवांत लाभ लंबित होना बताया गया। प्रधान लिपिक अनुमंडल कार्यालय सदर को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर कार्रवाई कर सेवांत लाभों का भुगतान सेवानिवृत कर्मी को प्राप्त कराने की कार्रवाई करेंगे। | प्रधान लिपिक अनुमंडल कार्यालय, सदर दरभंगा। |
| 16. | प्रखंड कार्यालय केवटी से संबंधित श्री बद्री पासवान के सेवांत लाभ के मामला लंबित होना बताया गया। प्रधान लिपिक प्रखंड कार्यालय केवटी को निदेश दिया गया कि अविलंब कार्रवाई की जाय। | प्रधान लिपिक केवटी प्रखंड |
| 17. | प्रखंड जाले से संबंधित श्री महेश कान्त चौधरी एवं श्री जगन्नाथ प्रसाद सिंह के सेवांत लाभ का मामला लंबित होना बताया गया कि सेवा का सत्यापन नही हुआ है। सत्यापन बहेड़ी प्रखंड से किया जाना है। प्रधान लिपिक बहेड़ी प्रखंड के द्वारा बताया गया कि दो दिनों के अन्दर सत्यापन कर सेवापुस्त भेज दिया जायेगा। जाले प्रखंड एवं बहेड़ी प्रखंड के प्रधान लिपिक को अविलंब कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। | प्रधान लिपिक जाले एवं बहेड़ी। |

| | | |
|---|---|---|
| 18. | घनश्यामपुर प्रखंड से संबंधित श्री रामबहादुर यादव पंचायत सेवक सह पंचायत सचिव के सेवांत लाभ का मामला लंबित होना बताया गया। बताया गया कि बहादुरपुर प्रखं डमें उनकी सेवापुस्त है। श्री रामबहादुर यादव के मामला बहुत दिनों से लंबित है। प्रधान लिपिक घनश्यामपुर प्रखंड से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया। | प्रधान लिपिक स्थापना शाखा, दरभंगा। |
| 19. | किरतपुर प्रखंड से संबंधित श्री कौशल कुमार राय का सेवांत लाभ के मामलों का निष्पादन नही किया गया है। प्रधान लिपिक को निदेश दिया गया कि अविलंब सेवांत लाभ के भुगतान करने की कार्रवाई की जाय। | प्रधान लिपिक किरतपुर प्रखंड |
| 20. | आज की बैठक में सेवानिवृत कर्मियों के लंबित सेवांत लाभ के मामले जिन प्रखंडों/अंचलों/जिला मुख्यालय/अनुमंडल कार्यालय एवं अन्य कार्यालयों के प्रधान लिपिकों के द्वारा सेवांत् लाभ की राशि हेतु कार्रवाई अबतक नही की गई है, उन सभी प्रधान लिपिकों का वेतन अवरूद्ध करने की कार्रवाई करने का निदेश स्थापना शाखा के प्रधान लिपिक को दिया गया। | प्रधान लिपिक स्थापना शाखा, दरभंगा। |
| 21. | सेवांत लाभ के मामलों के बारे में सभी प्रधान लिपिकों को निदेश दिया गया कि जिन कर्मियों की सेवानिवृति एक वर्ष या उससे अधिक वर्षों में होनेवाली है, तो वैसे कर्मियों की सूची तैयार कर उनकी सेवानिवृति के पूर्व उनके सभी प्रकार के सेवांत लाभ के दावे को पूर्ण कराने की कार्रवाई करने का निदेश दिया गया, ताकि उनकी बिदाई के दिन ही सेवांत लाभ से संबंधित राशि के चेक को प्राप्त कराया जा सकें। | सभी प्रधान लिपिक/ प्रधान लिपिक स्थापना शाखा, दरभंगा। |
| 22. | दिनांक–29.02.2016 को ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 कर्मियों की प्रोन्नति से संबंधित बैठक आहूत की गई है। सेवापुस्त की सत्यापित प्रति जिला स्थापना शाखा को भेजने का निदेश गया, अन्यथा नही भेजे जाने पर संबंधित कार्यालय/शाखा के प्रधान लिपिक पर कार्रवाई की जायेगी। लिपिकों की वरीयता सूची भेजी गई है, उसे देखकर यदि किन्हीं को कोई आपत्ति हो, तो वे दिनांक–10.02.2016 तक आपत्ति दाखिल कर सकते है। सभी कर्मियों का सम्पति का ब्यौरा दिनांक–07.02.2016 तक एक साथ भेजने का निदेश दिया गया। | सभी प्रधान लिपिक |
| 23. | सभी प्रधान लिपिक को निदेश दिया गया कि प्रशासी विभाग द्वारा दिया गया निदेश के आलोक में ही बैंकों में खाता खोलने की कार्रवाई करेगें। अविलंब खाता खोले जाने हेतु निदेश दिया गया। | सभी प्रखंडों के प्रधान लिपिक |
| 24. | समीक्षा के क्रम में सभी प्रधान लिपिक को माननीय उच्च न्यायालय के सी0डब्लू0जे0सी0/एम0जे0सी/सिविल न्यायालय के लंबित वादों/विधान सभा/विधान परिषद/लोक सभा/राज्य सभा/लोकायुक्त/मानवाधिकार आयोग/अल्पसंख्यक आयोग/पिछड़ा वर्ग आयोग/अनुसूचित जाति/जन जाति आयोग के लंबित पत्रों पर सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर एवं व्यक्तिगत जिम्मेवारी समझते हुए संबंधित कार्यालय/शाखाओं को भेजे गये पत्र पर अनुपालन कर अनुपालन प्रतिवेदन तीन दिनों के अन्दर भेजने का निदेश दिया गया। | सभी प्रधान लिपिक प्रखंड कार्यालय/ अंचल कार्यालय/ अनुमंडल कार्यालय/ जिला मुख्यालय के सभी कार्यालय |
| 25. | **जन शिकायत :–** समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त, दरभंगा के द्वारा खेद व्यक्त करते हुए सभी प्रधान लिपिक को निदेश दिया गया कि प्रत्येक प्रखं डमें कम से कम 200–300 | सभी प्रधान लिपिक प्रखंड कार्यालय |

| | | |
|---|---|---|
| | [illegible] आवेदन लंबित के [illegible] अनुपालन [illegible] सहायक के साथ साप्ताहिक बैठक कर इन लंबित आवेदनों पर निष्पादन की कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। विगत मार्च–2015 तक के सभी प्रकार के लंबित पत्रों का निष्पादन करने का निदेश कई बैठकों मे दिया गया, परन्तु खेद है कि इसका भी अनुपालन नही किया जा रहा है। तीन दिनों के अन्दर अनुपालन कर प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया। | |
| 26. | प्रखंड कार्यालय में मापी पुस्तिका मूवमेन्ट निर्गत पंजी/चेक निर्गत पंजी/योजनावार पृथक योजना पंजी को अविलंब संधारित करने का निदेश दिया गया। किन शीर्षो में कितनी राशि की आवश्यकता है, उससे संबंधित अधियाचना पत्र भेजने का निदेश दिया गया। जितने पत्र जिला कार्यालय से भेजे जाते है, उन पत्रों को निश्चित रूप से प्रधान लिपिक पढकर अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें। 150 के लगभग अंकेक्षण प्रतिवेदन इंदिरा आवास के लंबित है, जिसपर कंडिकावार जवाब भेजने का निदेश दिया गया। | सभी प्रधान लिपिक प्रखंड कार्यालय |
| 27. | सभी प्रधान लिपिक को निदेश दिया गया कि मुख्य सचिव, बिहार पटना के पत्र जो शताब्दी नलकूप योजना के पत्र भेजे गये है, उन पत्रों पर अविलंब अनुपालन करने का निदेश दिया गया। किसानों को मो0 20000:00 का अनुदान मिलेगा प्राप्त पत्र पर अनुपालन कर प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया। इस योजना की पंजी को अविलंब संधारित करने का निदेश दिया गया। | सभी प्रधान लिपिक प्रखंड कार्यालय |
| 28. | सभी प्रधान लिपिक को निदेश दिया गया कि अब योजना की राशि सीधे पंचायत को भेजा जाना है, जो पंचायत के खाता में जमा होगी। चौदहवी योजना में कौन सा कार्य किया जाना है, इस संबंध में पर्यवेक्षकों को स्थल पर भेजकर योजनाओं की जॉच कराने का निदेश दिया गया। | सभी प्रधान लिपिक प्रखंड कार्यालय |

19/2/16

जिलाधिकारी,
दरभंगा।

**ज्ञापांक–359/स्था0 दिनांक 20 फरवरी–2016**

**प्रतिलिपि :– सभी प्रधान लिपिक, दरभंगा जिला को सूचनार्थ एवं शीघ्र अनुपालनार्थ प्रेषित।**

**प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, दरभंगा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।**

**प्रतिलिपि :– सभी वरीय उप समाहर्त्ता सह वरीय प्रखंड के प्रभारी पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।**

**प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा/बेनीपुर/बिरौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।**

**प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी एन0आई0सी0, दरभंगा को जिला के बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।**

19/2/16

जिलाधिकारी,
दरभंगा।